रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262017 CG-DL-E-27032025-262017

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] No. 242] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2024

फा. सं. बी/आरआर/2024-रिम्स(Pt-1)(3).—क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर की विधिसंहिता के नियम 3(ii) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र सं. U-12015/57/2022-NE-Part (9) दिनांक 25-09-2023, से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल सोसाइटी की कार्य परिषद के अध्यक्ष एतदद्वारा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के निमित, मुख्य लेखा अधिकारी सह वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति संबंधित अधोलिखित नियमों-प्रविधियों को निर्मित करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ -

- (i) इन नियमों को मुख्य लेखा अधिकारी सह वित्तीय सलाहकार (समूह 'ए' पद) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल नियुक्ति नियम 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत लागू माने जाएंगे।

2103 GI/2025 (1)

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर प्रविधि अथवा नियुक्ति इत्यादि उपर्युक्त पदों के संदर्भ में वर्गीकरण, पे- मैट्रिक्स में वेतन स्तर, नियुक्ति की प्रविधि तथा इससे संबंधित अन्य संलग्न अनुसूचित (2) से (4) कॉलम में वर्णित के अनुसार होंगे।
- 3. नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता आदि- उपर्युक्त पद से संबंधित नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 4. अनर्हता : कोई भी व्यक्ति -
 - (क) जिसने एक जीवित पति/ पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो अथवा
 - (ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो, वह उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

बशर्ते की केंद्रीय सरकार, इस बात से आश्वस्त हो कि उपर्युक्त विवाह उस व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियम के अनुसार अनुमन्य हो तथा ऐसा करने के पीछे अन्य दूसरे भी आधार हो जिसके आधार पर उस व्यक्ति को उपर्युक्त नियम से मुक्त किया जा सके।

- 5. **छूट की शक्ति** : जहाँ केंद्रीय सरकार, इस राय में हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा त्वरित है वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए उपर्युक्त नियम में निहित किन्हीं प्राविधानों को किसी वर्ग अथवा कोटि या पद के संदर्भ में शिथिल कर सकते हैं।
- 6. संरक्षात्मक उपबंध : इन नियमों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवारत तथा विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूट प्रदान किए गए होंगे।

अनुसूची

1	पद का नाम	मुख्य लेखा अधिकारी सह वित्तीय सलाहकार
2	पदों की संख्या	1* (2023)
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	समूह 'ए'
4	वेतनमान	पे-मैट्रिक्स स्तर- 12
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा	लागू नहीं
	अन्य योग्यताएं	
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक	लागू नहीं
	योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न	
	प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	
	प्रतिशतता।	

11	प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए	प्रतिनियुक्तिः केंद्र / राज्य सरकार द्वारा आयोजित वित्त / लेखा सेवाएं में किसी एक से अधिकारी या अधीन्स्थ वित्त / लेखा सेवाएं या वित्त में अधिकारी केंद्र सांविधिक लेखा विभाग / स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। क 1. नियमित रूप से मातृ केडर / विभाग में समतुल्य पद धारित करने वाले या 2. मातृ केडर / विभाग में 5 वर्षों की पे-मैट्रिक्स स्तर 11 में नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का लेखा में अनुभव या 3. मातृ केडर / विभाग में 10 वर्षों की पे-मैट्रिक्स स्तर 10 में नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का लेखा अनुभव नोटः प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-केडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है सामान्यत : पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि पाँच वर्ष होगी। आवेदन पत्र प्राप्त होने की		
		अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त की आयु छप्पन वर्ष होगी।		
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ चयन समिति गठित है तो उसका संगठन	 स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार के महानिदेशक - अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य निदेशक, रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव 		
13	नियुक्ति निर्मित में किन परिस्थितियों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श।	लागू नहीं		

अध्यक्ष के आदेश तथा उनके नाम पर,

प्रो. गुरुअरिबम सुनील कुमार शर्मा, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1099/2024-25]

REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2024

F. No. B/RR/2024-RIMS(Pt-I)(3).—In exercise of the powers conferred under Rule 3(ii) of the Bye-Laws of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur and in pursuance of the approval of the Ministry of Health & Family Welfare conveyed vide letter No. U-12015/57/2022-NE-Part (9) dated 25-09-2023, the Chairman, Executive Council, Society of Regional Institute of Medical Sciences, Imphal hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Accounts Officer cum Financial Adviser in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal.

1. Short title and commencement.-

- (i) These rules may be called the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Chief Accounts Officer cum Financial Adviser (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification, level in pay matrix-** The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age Limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No Person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	Chief Accounts Officer cum Financial Adviser
2	Number of post	01* (2023)
	_	*Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'A'
4	Level in the Pay Matrix	Level – 12 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non-	Not Applicable
	selection post	
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable

7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Deputation
11	In case of promotion by recruitment by promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers from any of the Central/ State Government organized Finance/ Accounts Services or subordinate Finance/Accounts Services or officers in the Finance/Account Departments of Central Statutory/ Autonomous Bodies/ Public Sector Undertaking: A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department out of which at least 3 years' experience in Accounts or 3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department out of which at least 5 years' experience in Accounts Note: The Period of deputation including period of deputation in ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall not exceed five years. The period of deputation will initially for one year, which is extendable not exceeding five years based on the review of the performance. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing
12	If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition	date of receipt of application. 1. Director General of Health Services, Govt. of India – Chairman 2. The Joint Secretary looking after the affairs of RIMS, Imphal in the MoHFW, Govt of India – Member 3. One member of the Executive Council, Society of RIMS, Imphal (by rotation) – Member 4. One expert in the subject concerned from outside the institute – Member 5. The Director, RIMS, Imphal – Member Secretary
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Orders and in Name of Chairman,

Prof. GURUARIBAM SUNIL KUMAR SHARMA, Director [ADVT.-III/4/Exty./1099/2024-25]